

फर्द अहकाम

दौरा देवी बनाम सरकार अर्क.

प्रयालय उपखण्ड अधिकारी जमवाराभगद

ख्या 114/2022

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/09/22	<p>यह वाद पत्र (आदेश) की ओर ल 150 श्री किरान लाल ने अन्तर्गत धारा 88 R.G. नियम के तहत फलतुत किया है। पत्रावली व पत्रावली में फलतुत दाताकेजाम का अवलोकन पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को तलकी आदेशों रजिस्टर्ड डाक से कटाई जाकर पत्रावली दिनांक 19/09/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जमवाराभगद, जिला-जयपुर</p>	<p>नोटेस जारी</p> <p>4126-28</p> <p>9/9/22</p> <p>मि दौरा देवी</p>
	19/09/22	<p>पत्रावली पेश हुई। अन्वितार) ले 253334। महफति में पत्रावली का पत्र पेश किया जो 21 फिल कार्डिल किया गया। प्रतिवादी ल. 1 ने पत्रावली पेश किया जो शाकिल रहे। वकील ल. 1 को कन्टोलनेस रफ्तार में पत्रावली दिनांक 20/9/22 को पेश है।</p>	<p>द्वितीय</p>
	20/09/22	<p>पत्रावली / पत्रावली, आगतकेना सघ द्वारा उपखण्ड अधिकारी का अधिकार करने पर पत्रावली पूर्णतया दिनांक..... पेश हुई</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपखण्ड वकील वादी की कहल सुनी गई। वकील वादी की कहल सुनने प्रतिवादीगण ल. 2 ता 3 के पत्रावली महफति तथा प्रोफेसर लफ्फाट के पत्रावली तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। फलतुत निर्णय अलग से किया जाकर शाकिल किया गया। पत्रावली कोमल सुगाए होकर नगदले कर है। वाद प्रति दाकिल दपार है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जमवाराभगद